ELECTION AND REPRESENTATION

In this chapter we shall study the constitutional provisions regarding elections and representation. We shall focus on the importance of the method of election chosen in our Constitution and the implications of the constitutional provisions regarding impartial machinery for conducting elections. We shall also look at some suggestions for amending the constitutional provisions in this respect. After reading this chapter, you would understand:

इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है हम उसके महत्त्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिये गये हैं हम उन्हें भी देखेंगे।

ELECTION AND REPRESENTATION

- different methods of election;
- the characteristics of the system of election adopted in our country;
- the importance of the provisions for free and fair elections; and
- the debate on electoral reforms.

- चुनाव की विभिन्न विधियाँ;
- अपने देश की चुनाव–व्यवस्था की विशेषताएँ ;
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्त्व; और
- चुनाव सुधार पर होने वाली बहस।

ELECTION AND REPRESENTATION

❖**All citizens cannot take direct part in making every decision. Therefore, representatives are elected by the people. This is how elections become important.**

❖कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसलिए, चुनाव महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

ELECTION AND REPRESENTATION

- **This is where constitution comes in. The constitution of a democratic country lays down some basic rules about elections. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislatures. These basic rules are usually about**

- इसी बिंदु पर संविधन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिाक देश का संविधन चुनावों वेफ लिए वुफछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम–कानून बनाने का काम विधयिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि

ELECTION AND REPRESENTATION

- Who is eligible to vote?
- Who is eligible to contest?
- Who is to supervise elections?
- How do the voters choose their representatives?
- How are the votes to be counted and representatives elected?

- कौन मत देने के लिए योग्य है?
- कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है?
- कौन चुनाव की देख–रेख करेगा?
- मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे?
- मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा?

ELECTION AND REPRESENTATION

❖ELECTION SYSTEM IN INDIA

❖भारत में चुनाव व्यवस्था

ELECTION AND REPRESENTATION

Comparison of FPTP and PR system of election

FPTP

- The country is divided into small geographical units called constituencies or districts
- Every constituency elects one representative
- Voter votes for a candidate
- A party may get more seats than votes in the legislature
- Candidate who wins the election may not get majority (50%+1) votes
- Examples: U.K., India

PR

- Large geographical areas are demarcated as constituencies. The entire country may be a single constituency
- More than one representative may be elected from one constituency Voter votes for the party
- Every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets
- Candidate who wins the elections gets majority of votes.
- Examples: Israel, Netherlands

ELECTION AND REPRESENTATION

'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व' चुनाव व्यवस्था की तुलना

सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत	समानुपातिक प्रतिनिधित्व
पूरे देश को छोटी–छोटी भौगोलिक इकाइयों में बाँट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्रा या जिला कहते हैं?	किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्रा को एक निर्वाचन क्षेत्रा मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्रा गिना जा सकता है।
हर निर्वाचन क्षेत्रा से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है।	एक निर्वाचन क्षेत्रा से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।
मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।	मतदाता पार्टी को वोट देता है।
पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधयिका में मिल सकती हैं।	हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं।
विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत **(50%+1)** मिले	विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है।
उदाहरण – यूनाइटेड किंगडम और भारत	जैसे कि इशराइल और नीदरलैंड

ELECTION AND REPRESENTATION

❖**How does PR work in Rajya Sabha elections A third variant of PR, the Single Transferable Vote system (STV), is followed for Rajya Sabha elections. Every State has a specific quota of seats in the Rajya Sabha. The members are elected by the respective State legislative assemblies. The voters are the MLAs in that State. Every voter is required to rank candidates according to her or his preference. To be declared the winner, a candidate must secure a minimum quota of votes, which is determined by a formula:**

$$\left(\frac{\text{Total votespolled}}{\text{Total number of candidates to be elected} + 1}\right) + 1$$

ELECTION AND REPRESENTATION

❖राज्य सभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्य सभा चुनावों में देखने को मिलता है : इसे 'एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्य सभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। राज्यों की विधन सभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है। जो निम्नलिखित फार्मूले के आधर पर निकाला जाता है।

$$\left(\frac{\text{कुल मतदान}}{\text{कुल विजयी उम्मीदवार} + 1}\right) + 1$$

ELECTION AND REPRESENTATION

- For example if 4 Rajya Sabha members have to be elected by the 200 MLAs in Rajasthan, the winner would require (200/4+1= 40+1) 41 votes. When the votes are counted it is done on the basis of first preference votes secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference votes. If after the counting of all first preference votes, required number of candidates fail to fulfil the quota, the candidate who secured the lowest votes of first preference is eliminated and his/her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers. This process continues till the required number of candidates are declared elected.

ELECTION AND REPRESENTATION

❖उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधयकों को राज्य सभा वेफ लिए चार

सदस्य चुनना है तो विजयी उम्मीदवार को $\left(\frac{200}{4+1}\right)+1 \Rightarrow \frac{200}{5}+1 \Rightarrow 40+1 \Rightarrow 41$

वोटों की शरूरत पड़ेगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त 'प्रथम वरीयता' वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद, यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बाँट दिया जाता है;ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्रा पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या (4) के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता।

ELECTION AND REPRESENTATION

❖Why did India adopt the FPTP system?

❖**The answer is not very difficult to guess. If you have carefully read the box explaining the Rajya Sabha elections, you would have noticed that it is a complicated system which may work in a small country, but would be difficult to work in a sub-continental country like India. The reason for the popularity and success of the FPTP system is its simplicity. The entire election system is extremely simple to understand even for common voters who may have no specialised**

❖भारत में 'सर्वाधिक वोट से जीत की' प्रणाली क्यों स्वीकार की गई?

❖इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्य सभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं।

ELECTION AND REPRESENTATION

- knowledge about politics and elections. There is also a clear choice presented to the voters at the time of elections. Voters have to simply endorse a candidate or a party while voting. Depending on the nature of actual politics, voters may either give greater importance to the party or to the candidate or balance the two. The FPTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates. In other electoral systems, especially PR systems, voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of party lists. As a result, there is no one representative who represents and is responsible for one locality. In constituency based system like the FPTP, the voters know who their own representative is and can hold him or her accountable.

ELECTION AND REPRESENTATION

❖मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। वह चाहे तो इन दोनों में, मतदान के समय, संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन् उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गयी सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार, किसी क्षेत्रा विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी, कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्राों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं।

ELECTION AND REPRESENTATION

❖RESERVATION OF CONSTITUENCIES

❖We have had a history of caste-based discrimination. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and castes can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented. Our Constitution makers were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This provision was made initially for a period of 10 years and as a result of successive constitutional amendments, has been extended up to 2020. The Parliament can take a decision to further extend it, when the period of reservation expires. The number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in the population of India

ELECTION AND REPRESENTATION

❖निर्वाचन क्षेत्राों का आरक्षण

❖हमारे यहाँ जाति आधरित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियाँ हर जगह जीत जायेंगी और दलित–उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पायेगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित–उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्य की विधान सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी पर अनेक संवैधनिक संशोधनों द्वारा .....

ELECTION AND REPRESENTATION

❖कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है? किस आधर पर यह निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय एक स्वतंत्रा संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिल कर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्राों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्राों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद, परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्राों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में, परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्राों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात श्यादा होता है। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्राों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में विखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्राों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है।

ELECTION AND REPRESENTATION

- **Universal franchise and right to contest**
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार

ELECTION AND REPRESENTATION

❖Independent Election Commission

❖**Article 324 of the Indian Constitution provides for an independent Election Commission for the 'superintendence, direction and control of the electoral roll and the conduct of elections' in India.**

❖स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

❖भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 'निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधींक्षण, निदशन और नियंत्रण' का अधिकार एक स्वतंत्रा निर्वाचन आयोग को देता है।

ELECTION AND REPRESENTATION

- The Chief Election Commissioner (CEC) presides over the Election Commission, but does not have more powers than the other Election Commissioners. The CEC and the two Election Commissioners have equal powers to take all decisions relating to elections as a collective body. They are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers.

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंध सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर की जाती है

ELECTION AND REPRESENTATION

- The Constitution ensures the security of the tenure of the CEC and Election Commissioners. They are appointed for a six year term or continue till the age of 65, whichever is earlier. The CEC can be removed before the expiry of the term, by the President if both Houses of Parliament make such a recommendation with a special majority.

- संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक ;जो पहले खत्म हो के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है;

ELECTION AND REPRESENTATION

The Election Commission of India has a wide range of functions.

- **It supervises the preparation of up-to-date voters' list. It makes every effort to ensure that the voters' list is free of errors like nonexistence of names of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existent.**

- **It also determines the timing of elections and prepares the election schedule. The election schedule includes the notification of elections, date from which nominations can be filed, last date for filing nominations, last date of scrutiny, last date of withdrawal, date of polling and date of counting and declaration of results.**

ELECTION AND REPRESENTATION

भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम हैं।

❖वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देख–रेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियाँ न हो अर्थात् पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाएँ और न ही उसमें ऐसे लागों के नाम हों जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित ही न हों।

❖वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है – चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा।

ELECTION AND REPRESENTATION

- During this entire process, the Election Commission has the power to take decisions to ensure a free and fair poll. It can postpone or cancel the election in the entire country or a specific State or constituency on the grounds that the atmosphere is vitiated and therefore, a free and fair election may not be possible. The Commission also implements a model code of conduct for parties and candidates. It can order a re-poll in a specific constituency. It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just.

- The Election Commission accords recognition to political parties and allots symbols to each of them.

ELECTION AND REPRESENTATION

- इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्रा और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधर पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकुल माहौल नहीं है तथा स्वतंत्रा और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनवेफ उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है।

- निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिह्न आबंटित करता है।

ELECTION AND REPRESENTATION

❖ELECTORAL REFORMS

- ❖Our system of elections should be changed from the FPTP to some variant of the PR system. This would ensure that parties get seats, as far as possible, in proportion to the votes they get.
- ❖There should be a special provision to ensure that at least one third women are elected to the parliament and assemblies.
- ❖ There should be stricter provisions to control the role of money in electoral politics. The elections expenses should be paid by the government out of a special fund.

ELECTION AND REPRESENTATION

❖चुनाव सुधर

❖हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिये। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे।

❖ संसद और विधान सभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाये जाएँ।

❖ चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधन होने चाहिये। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चो का भुगतान करना चाहिये।

ELECTION AND REPRESENTATION

- Candidates with any criminal case should be barred from contesting elections, even if their appeal is pending before a court.
- There should be complete ban on the use of caste and religious appeals in the campaign.
- There should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner

ELECTION AND REPRESENTATION

- जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिये, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो।

- चुनाव–प्रचार में जाति और धर्म के आधर पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिये।

- राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिये।